न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस।

मुकदमा नं0 96/2022

कन्हैयालाल पुत्र हीरालाल जाति कुम्हार नि0 देवतवालो की ढाणी, ममेरवालो की ढाणी तह0 जोबनेर

वादी

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार जोबनेर (जयपुर ग्रामीण) राज0।

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0 एवं 136 एल0आर0 एक्ट

उपस्थित :— श्री हनुमान जाखड विद्वान अधिवक्ता वादी

दिनांक :— 11/09/2023

निर्णय

वादी ने यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0 एवं 136 एल0आर0 एक्ट के तहत विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 133/0.59, 134/4/0.13, 134/3/0.12, 134/2/3.54, 88/3/2.44, 131/0.05, 130/18.13 हैक्टर बांके ग्राम देवपुरा तह0 जोबनेर में स्थित है। जिसमें वादी का राजस्व रिकॉर्ड अनुसार हिस्सा दर्ज है। वादी का वास्तविक नाम कन्हैयालाल है परन्तु गांव में कानाराम नाम पुकारने से वादी का विरासत के नामांतरण में नाम कानाराम अंकित कर दिया गया। जिसकी वादी को पूर्व मे जानकारी नही थी। वादी का राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, चैक पासबुक में नाम कन्हैयालाल पुत्र हीरालाल दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में गलत नाम दर्ज होने के कारण मुझे ऋण सुविधाओं से वंचित रहना पड रहा है। इस संबंध में मेरे द्वारा रिकार्ड शुद्धि के काफी प्रयास किए गये। परन्तु राजस्व रिकार्ड शुद्ध नहीं किया गया। इसलिए मुझे यह वाद पत्र प्रस्तुत करना लाजिमी हुआ है। अतः दावा वादी का स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 133/0.59, 134/4/0.13, 134/3/0.12, 134/2/3.54, 88/3/2.44, 131/0.05, 130/18.13 हैक्टर बांके ग्राम देवपुरा तह0 जोबनेर में वादी का नाम कानाराम के स्थान पर कन्हैयालाल पुत्र हीरालाल किये जाने के आदेश प्रदान किए जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार जोबनेर ने दिनांक 06/04/2023 को न्यायालय मे उपस्थित होकर जबाब तथा फर्द मौका रिपोर्ट इस आशय की पेश है कि आराजी खसरा नम्बर 133/0.59, 134/4/0.13, 134/3/0.12, 134/2/3.54, 88/3/2.44, 131/0.05, 130/18.13 हैक्टर बांके ग्राम देवपुरा

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

तह0 जोबनेर में स्थित है। जिसमें वादी का राजस्व रिकॉर्ड अनुसार हिस्सा दर्ज है। कन्हैयालाल एवं कानाराम एक ही व्यक्ति है जिसका नियमित नामांतरण दर्ज होते समय नाम कानाराम दर्ज हो गया था। ग्राम में उपस्थित मौतबिरानों ने बताया है कि कन्हैयालाल एवं कानाराम एक ही व्यक्ति के दो नाम है। जिसका सही नाम कन्हैयालाल है।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी सम्वत 2076–78, नकल नामांतरण, नकल राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड तथा शपथ पत्र स्वयं वादी पेश किया है।

बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया है।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड, जबाब तहसीलदार एवं फर्द मौका रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया। आराजी खसरा नम्बर 133/0.59, 134/4/0.13, 134/3/0.12, 134/2/3.54, 88/3/2.44, 131/0.05, 130/18.13 हैक्टर वाके ग्राम देवपुरा तह0 जोबनेर में स्थित है। जिसमें वादी का राजस्व रिकॉर्ड अनुसार हिस्सा दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम कानाराम पुत्र हीरालाल दर्ज है। जबकि अन्य दस्तावेज यथा परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड एवं निर्वाचन पहचान पत्र में वादी का नाम कन्हैयालाल पुत्र हीरालाल दर्ज है। ग्राम में उपस्थित मौतबिरानों ने बताया है कि कन्हैयालाल एवं कानाराम एक ही व्यक्ति के दो नाम है। जिसका सही नाम कन्हैयालाल पुत्र हीरालाल है। राजस्व रिकार्ड में गलत नाम दर्ज होने के कारण वादी को ऋण सुविधाओं से वंचित रहना पड रहा है। जिसे शुद्ध किया जाना उचित है। अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0 एवं 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0 एवं 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में कानाराम पुत्र हीरालाल के स्थान पर कन्हैयालाल पुत्र हीरालाल दर्ज किया जावे। शेष इन्द्राज यथावत रहेगें।

निर्णय आज दिनांक 11/09/2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल) उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर (जयपुर ग्रामीण).